

जिला खनन कार्यालय, गया।

पत्रांक 96/खनन, गया, दिनांक 12/01/23

प्रेषक,

अमरेश कुमार (वि.प्र.सो.)
वरीय उप समाहर्ता-सह-
प्रभारी खनिज विकास पदाधिकारी, गया।

सेवा में,

B K ENTERPRISES

BRAJESH KUMAR TIWARI
PURVI MOHAN BIGHA, DALMIYANNAGAR, SUBHASHNAGAR,
DEHRI ON SONE, ROHTAS-821307
Email- bkt.entp.dos@gmail.com
Mobile- 9934240177

विषय :- गया जिलान्तर्गत बालूखण्ड संख्या-45 (गया लीलाजन-07/08/09/10/11) की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-16.12.2022 को सम्पन्न ई-नीलामी में उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक गया जिलान्तर्गत बालूखण्ड संख्या-45 (गया लीलाजन-07/08/09/10/11), रकवा-60 हेक्टेयर की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-16.12.2022 को सम्पन्न ई-नीलामी में आपके द्वारा निर्धारित सुरक्षित जमा राशि मो0- 8,10,00,000/- (आठ करोड़ दस लाख) रू0 के विरुद्ध मो0- 8,91,00,000/- (आठ करोड़ एकानवे लाख) रू0 की उच्चतम डाक बोली गई, फलस्वरूप आप उच्चतम/सफल डाकवक्ता घोषित हुए हैं। निविदा दस्तावेज की कंडिका-20 (i) के आलोक में आपके द्वारा नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि (जमा अग्रधन राशि समायोजनोपरान्त) प्रतिभूति राशि मो0-20,25,000/- (बीस लाख पच्चीस हजार) रू0 के भुगतान का साक्ष्य दिनांक-07.01.2023 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका 20(i)(ii)(iii)(iv)(v) के आलोक में जिलान्तर्गत बालूखण्ड संख्या-45 (गया लीलाजन-07/08/09/10/11) के सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त एवं बंधेज निम्नवत् हैं :-

1. बालूखण्ड संख्या-45 (गया लीलाजन-07) से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

क्र.	नदी का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)	Geo Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	लीलाजन (Non-Perennial)	20	A	24°36'16.04"N 84°58'49.39"E
			B	24°36'14.62"N 84°58'57.37"E
			C	24°35'36.43"N 84°58'52.77"E
			D	24°35'36.39"N 84°58'48.28"E
2	वन क्षेत्र से दूरी		लगभग 8.62 कि.मी.	
3	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य क्षेत्र/पक्षी अभ्यारण्य/वन्य जीव आश्रयण क्षेत्र से दूरी		लगभग 13.87 कि.मी.	
4	बालूघाट/बालूखण्ड से 500 मीटर के अन्दर खनन पट्टा क्षेत्र की स्थिति		लागू नहीं	
5	पुरातात्विक स्थल से दूरी		लगभग 10.59 कि.मी.	
6	खनन योग्य मात्रा		360000 घनमीटर	

बालूखण्ड संख्या-45 (गया लीलाजन-11) से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

क्र.	नदी का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)	Geo Coordinates		
			Latitude		Longitude
1	लीलाजन (Non-Perennial)	9	A	24°32'40.93"N	84°55'20.48"E
			B	24°32'39.37"N	84°55'25.12"E
			C	24°32'20.61"N	84°55'14.63"E
			D	24°32'21.48"N	84°55'9.85"E
2	वन क्षेत्र से दूरी		लगभग 3.07 कि.मी.		
3	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य क्षेत्र/पक्षी अभ्यारण्य/वन्य जीव आश्रयण क्षेत्र से दूरी		लगभग 10.67 कि.मी.		
4	बालूघाट/बालूखण्ड से 500 मीटर के अन्दर खनन पट्टा क्षेत्र की स्थिति		लागू नहीं		
5	पुरातात्विक स्थल से दूरी		लगभग 18.81 कि.मी.		
6	खनन योग्य मात्रा		162000 घनमीटर		

2. भुगतान की शर्तें :-

- नीलामी-राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके अनुक्रमी वर्षों में बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निदेशों के अनुरूप होगा।
- प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त आपको निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करना होगा :-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 06 महीना पूरा होने से पहले।

- GST का भुगतान :-** जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, गया में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।
- आयकर/अन्य करों का भुगतान :-** आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, गया द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।
- जिला खनिज फाउण्डेशन :-** Bihar District Mineral Foundation Rules, 2018 के अनुसार बंदोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन, गया के नाम भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।
- वैधानिक अनापत्ति :-** बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति यथा:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि आपके द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति (LOI) निर्गत तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किये जाने हेतु कार्यदेश निर्गत किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है:-



के प्रयोजनार्थ पहुँच-पथ (अप्रोच रोड़) का निर्माण सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।

- (iv) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की होगी।
- (v) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होंगे और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा बंदोबस्तधारी के विरुद्ध अपराधिक मामला दायर किया जाएगा।
- (vi) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी समाहर्ता द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधनों और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।
- (vii) यथोक्त शर्तों, बंधेजों एवं निर्बंधनों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
- (viii) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा बकाया का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
- (ix) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार संबंधित जिला खनन कार्यालय का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कराकर खनन कार्य कराना होगा। बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं Satellite images मानसून के पूर्व एवं बाद का समर्पित करना होगा।
- (x) बालूघाट से लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी जल ससाधन विभाग की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल ससाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे।
- (xi) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xiii) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- (xiv) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई कोई भी सूचना/निदेश /आदेश इत्यादि IT Act के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जायेगा।

विश्वामाजी
वरीय उप समाहर्ता-सह-
प्रभारी खनिज विकास पदाधिकारी, गया।